REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042022-234891 CG-DL-E-06042022-234891

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2022/चैत्र 15, 1944 No. 260] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 5, 2022/CHAITRA 15, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 272(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 98 (अ), तारीख 2 फरवरी, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, उस तारीख से, जिसको प्रारूप नियमों में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिनों की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 2 फरवरी, 2022 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 56 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (आठवाँ संशोधन) नियम,
2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. उक्त नियम के नियम 62 में उपनियम (1) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ख) परिवहन वाहनों के संबंध में फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण	आठ साल तक के पुराने वाहनों के लिए दो साल और आठ साल से पुराने वाहनों के लिए एक साल ।
	फिटनेस अनिवार्य रूप से, स्वचालित परीक्षण स्टेशन की
	मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम 175 के
	अनुसार पंजीकृत किसी स्वचालित परीक्षण स्टेशन के
	माध्यम से ही निम्नानुसार किया जाएगा –
	(i) भारी माल वाहनों/भारी यात्री मोटर वाहनों
	के लिए 01 अप्रैल, 2023 से ; और
	(ii) मध्यम माल वाहनों/मध्यम यात्री मोटर
	वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के
	लिए 01 जून, 2024 से" ।

[सं. आरटी-23013/2/2022-टी]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मुख्य नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख 02 जून, 1989 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 233 (अ), तारीख 31 मार्च, 2022 के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2022

G.S.R. 272(E).—Whereas draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways *vide* number G.S.R. 98 (E), dated the 2nd February, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 2nd February, 2022;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:

1. **Short Title and commencement**. -(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Eighth Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of publication.

2. In the said rule, in rule 62, in sub-rule (1) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely: -

"(b) renewal of certificate of fitness in respect of transport vehicles	Two years for vehicles up to eight years old and one year for vehicles older than eight years.
	Fitness shall be done mandatorily, only through an Automated Testing Station registered in accordance with the rule 175 for recognition, regulation and control of automated testing station as under –
	(i) For Heavy Goods Vehicles/Heavy Passenger Motor Vehicles with effect from 01 st April 2023 onwards; and
	(ii) for Medium Goods Vehicles / Medium Passenger Motor Vehicles and Light Motor vehicles (Transport) with effect from 01 st June 2024 onwards".
[No RT-23013/2/2022.T]	

[No. RT-23013/2/2022-T] AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 233(E) dated the 31st March, 2022.